भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/डीओआर/2025-26/259

डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.178./13.03.000/2025-26 नवंबर 28, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - अग्रिमों पर ब्याज दरें) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2
अध्याय II - सामान्य दिशानिर्देश 3
अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान 5

परिचय

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे इसके बाद 'रिज़र्व बैंक' या 'आरबीआई' कहा जाएगा) इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

क. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - अग्रिमों पर ब्याज दरें) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश जारी होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।

ख. प्रयोज्यता

3. यह निदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होंगे (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंक' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

ग. परिभाषाएँ

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां प्रयुक्त शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा:

(1) 'सूक्ष्मवित्त ऋण' का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में दिया गया है।

(2) 'अंतराल' उधारकर्ताओं को ब्याज लगाने की आवधिकता से संबंधित है।

(3) यदि अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, तो अन्य सभी अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या अन्य किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन, यथास्थिति, में दिए गए हों, अथवा जैसा वाणिज्यिक वार्तालाप में प्रयुक्त होता हो।

अध्याय II - सामान्य दिशानिर्देश

क. ब्याज दर का ढांचा

5. हालांकि ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है, फिर भी एक निश्चित स्तर से अधिक ब्याज दरें बहुत ज़्यादा (usurious) मानी जा सकती हैं और न तो यह धारणीय हो सकती है और न ही सामान्य बैंकिंग पद्धति के अनुरूप हो सकती है। इसलिए, बैंक के बोर्ड को सूचित किया जाता है कि वह उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करे ताकि उनके द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर प्रसंस्करण और अन्य प्रभारों सहित सूदखोरी ब्याज न लगाया जा सके।

6. सभी अग्रिमों पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाया जाएगा।
बशर्ते कि मासिक अंतराल पर ब्याज वसूलने के निदेश कृषि अग्रिमों के लिए लागू नहीं होंगे और बैंक फसल उत्पादन से जुड़े कृषि अग्रिमों पर ब्याज वसूलने/चक्रवृद्धि करने की मौजूदा प्रथा का अनुपालन करेंगे। जहां तक अल्पावधि की फसलों और संबद्ध कृषि गतिविधियों का संबंध है, बैंक ब्याज वसूलते समय उधारकर्ताओं के साथ तरलता और कटाई/विपणन मौसम के आधार पर निर्धारित नियत तारीखों को ध्यान में रख सकता है और यदि अल्पावधि की फसलों और संबद्ध कृषि गतिविधियों के संबंध में ऋण/किस्त अतिदेय हो जाती है तो उसे चक्रवृद्धि कर सकता है।

7. लघु मूल्य के ऋणों, विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋणों और इसी प्रकार के ऐसे अन्य ऋणों के संबंध में बैंक द्वारा ऋण दरों का निर्धारण करने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित व्यापक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जा सकता है:

(1) ऐसे ऋणों को मंजूरी देने के लिए एक उपयुक्त पूर्व-अनुमोदन प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमे भावी उधारकर्ता के अन्य पहलुओं के साथ-साथ उसकी ऋण चुकाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(2) बैंक द्वारा लगाई गई ब्याज दरों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग के अनुसार उचित और न्यायोचित समझे जाने वाले जोखिम प्रीमियम को शामिल करना चाहिए। साथ ही, जोखिम पर विचार करते समय, सिक्योरिटी (जमानत) की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी और उसके मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए।

(3) उधारकर्ता पर पड़ने वाले कुल लागत का भार जिसमे किसी ऋण पर लगाए गया ब्याज और अन्य सभी प्रभार शामिल हैं, को बैंक द्वारा उस ऋण को देने में आई कुल लागत तथा उस आय की सीमा की द्रुष्टि से औचित्यपूणु होनी चाहिए जो जाहिर है कि लेनदेन से सृजित होगी और उसे हिसाब में लिया जाए।

(4) ऐसे ऋणों पर लगाए जाने वाले प्रसंस्करण तथा अन्य प्रभारों सहित उनकी ब्याज दर की यथोवचत

उच्चति सीमा निर्धारित की जाए जिसे यथासिय सार्वजनिक रूप से प्रचाररत भी किया जाए।

ख. सूक्ष्म वित्त ऋणों का मूल्य निर्धारण

8. बैंक सूक्ष्म वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) सर्व-समावेशी ब्याज दर निर्धारित करने के लिए एक सुस्पष्ट प्रलेखित ब्याज दर मॉडल/दृष्टिकोण।

(2) वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर प्रत्येक घटक की मात्रा के संदर्भ में ब्याज दर के घटकों जैसे निधियों की लागत, जोखिम प्रीमियम और मार्जिन आदि का सीमांकन।

(3) उधारकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक घटक के प्रसार की सीमा।

(4) सूक्ष्म वित्त ऋणों पर लागू ब्याज दर और अन्य सभी शुल्कों की उच्चतम सीमा।

9. सूक्ष्म वित्त ऋणों पर ब्याज दरें और अन्य प्रभार/शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनकी रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी जांच की जाएगी।

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान

क. निरसन और बचाव

10. इन निदेशों के जारी होने के साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू अग्रिमों पर ब्याज दरों से संबंधित मौजूदा अनुदेशों, निदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि दिनांक नवंबर 28, 2025 की अधिसूचना डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

11. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त अनुदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी मंजूरियां या स्वीकृतियां इन निदेशों द्वारा अभिशासित समझी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) इनके तहत अर्जित, उपार्जित या उत्पन्न कोई भी अधिकार, दायित्व या देनदारी;

(2) इनके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या दंड;

(3) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, जुर्माना, ज़ब्ती या दंड के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या दंड लगाया जा सकता है मानो वे निर्देश, अनुदेश या दिशा-निर्देश निरस्त नहीं किए गए हों।

ख. अन्य विधियों के लागू होने पर रोक नहीं

12. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य विधियों, नियमों, विनियमनों या निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

ग. व्याख्याएं

13. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।